रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.....
Date.....
GOVT. OF INDIA

सं० 133] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 1979/वैशाख 8, 1901
No. 133] NEW DELHI, SATURDAY APRIL 28, 1979/VAISAKHA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1979

सा.का.नि. 274(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उसी धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासियों के मंडल में सर्वश्री एम. वी. भद्रम और बी. धर्म राव को न्यासियों के रूप में जो इसी पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 303(ई) दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 8 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

9. श्री एम. वी. भद्रम—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि ।

10. श्री बी. धर्म राव—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि ।

[फाइल संख्या पी. टी. बी.-38/78]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th April, 1979

G. S. R. 274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Sarvashri M. V. Bhadram and B. Dharma Rao as trustees, representing the labour employed in the Port of Visakhapatnam, on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G. S. R. 303 (E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 8, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :—

"9. Shri M. V. Bhadram—Representing the labour employed in the Port.

10. Shri B. Dharma Rao—Representing the labour employed in the Port."

[F. No. PTB-38/78]

सा.का.नि. 275(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उसी धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

केन्द्रीय सरकार कांडला पत्तन के न्यासियों के मंडल में सर्वश्री मनोहर जी. कोटवाल और अरुण कान्त शाह को न्यासियों के रूप में जो इसी पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 300(ई) दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 7 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

8. श्री मनोहर जी कोटवाल—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि ।

9. श्री अरुण कान्त शाह—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि ।

[फाइल संख्या पी. टी. बी.-41/73]

G. S. R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Sarvashri Manohar G. Kotwal and Arunkant Shah as trustees, representing the labour employed in the Port of Kandla, on the Board of Trustees of the Port of Kandla, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G. S. R. 300 (E), dated the 31st March, 1979 namely :—

In the said notification, after Serial Number 7, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :—

"8. Shri Manohar G. Kotuwal—Representing the labour employed in the Port.

9. Shri Arunkant Shah—Representing the labour employed in the Port."

[F. No. PTB-41/78]

सा.का.नि. 276(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उसी धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कलकत्ता पत्तन के न्यासियों के मंडल में सर्वश्री माखन चटर्जी और पारबती दास को न्यासियों के रूप में जो इसी पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301(ई) दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 9 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात् :—

"10. श्री माखन चटर्जी—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि ।

11. श्री पारबती दास—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि" ।

[फाइल संख्या पी. टी. बी.-44/78]

G. S. R. 276(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Sarvashri Makhan Chatterjee and Parbati Das as trustees, representing the labour employed in the Port of Calcutta, on the Board of Trustees of the Port of Calcutta, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G. S. R. 301(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 9, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :—

"10. Shri Makhan Chatterjee—Representing the labour employed in the Port.

11. Shri Parbati Das—Representing the labour employed in the Port."

[F. No. PTB-44/78]

सा.का.नि. 277(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उसी धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बम्बई पत्तन के न्यासियों के मण्डल में सर्वश्री एस. आर. कुलकर्णी और डा. शान्ति जी. पटेल को न्यासियों के रूप में जो इसी पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 305(ई) दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 7 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएं, अर्थात :

"8. श्री एस. आर. कुलकर्णी—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि ।

9. डा. शान्ति जी. पटेल—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि ।"

[फाइल संख्या पी. टी. बी.-45/78]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव ।

G. S. R. 277(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri S. R. Kulkarni and Dr. Shanti G. Patel as trustees, representing the labour employed in the Port of Bombay, on the Board of Trustees of the Port of Bombay, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G. S. R. 305 (E), dated the 31st March, 1979, namely :—

"In the said notification, after Serial Number 7, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :—

"8. Shri S. R. Kulkarni—Representing the labour employed in the Port.

9. Dr. Shanti G. Patel—Representing the labour employed in the Port.

[F. No. PTB-45/78]

D. K. Jain, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979